

सी. नं. 1893/2017

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

निगरानी/मुरैना/भू.रा. 2017/1893

अतुल कुमार आयु-38 वर्ष पुत्र श्री  
समनिवास जाति वैश्य, निवासी-जैन गली,  
अम्बाह, जिला मुरैना

— आवेदक

बनाम

श्री श्री. के. निखरी (स. ३६०)  
द्वारा आज दि. 27-6-17 को  
प्रस्तुत

बत  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. वृजमोहन गुप्ता आयु-60 वर्ष पुत्र स्व.श्री  
कैलाश दयाल
2. कमल किशोर आयु-53 वर्ष पुत्र स्व. श्री  
कैलाश दयाल
3. संजय आयु-46 वर्ष पुत्र स्व. श्री कैलाश  
दयाल समस्त निवासीगण-पोरसा रोड,  
अम्बाह जिला मुरैना

— अनावेदिका

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध

आदेश दिनांक 06-06-2017 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी

प्रकरण क्र. 01/15-16 अपील माल।

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-


प्रकरण के तथ्य :-

- 1- यह कि, भूमि सर्वे क्रमांक 1659/1 रकबा 6 विस्वा एवं सर्वे क्र. 1659/2 रकबा  
8 विस्वा पर आवेदक द्वारा अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं  
डिक्री दिनांक 16-09-2007 प्रकरण क्रमांक व्यवहार अपील क्रमांक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/1893

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p> <p>3</p>	